

**अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा
अपना दावा प्रस्तुत करने हेतु जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र**

पंजीकरण सं

दिनांक :

अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
.....पुत्र/पुत्री.....निवासी.....जिला/संभाग.....
प्रदेश केंद्र शासित राज्य केजाति/जनजाति समुदाय के हैं, जो अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन मान्यता प्राप्त है.

कृपया टिक लगाएँ

- 1) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- 2) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- 3) संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित राज्य) आदेश, 1951
- 4) संविधान (अनुसूचित जनजाति) (केंद्रशासित राज्य) आदेश, 1951
 - a. (जैसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची द्वारा संशोधित (संशोधित) आदेश-1950, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम-1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966, हिमाचल राज्य अधिनियम-1970, उत्तर पूर्व क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम -1971 और अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधित)-1976)
- 5) संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1950
- 6) संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989
- 7) संविधान (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- 8) संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- 9) संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962
- 10) संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- 11) संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- 12) संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- 13) संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970
- 14) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- 15) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- 16) संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन), 1989
- 17) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन), 1990
- 18) संविधान (अनुसूचित जाति) द्वितीय संशोधन, 1991
- 19) संविधान (अनुसूचित जनजाति) द्वितीय संशोधन, 1991

आ) अपने मूल राज्य/संघ शासित राज्य से प्रवास पर आनेवाले अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए लागू (यदि कोई परिच्छेद लागू न हों, तो काट दें) :

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती/कुमारी माता/पिता श्री/श्रीमती/कुमारी, निवासी, जिला/संभाग, राज्य/संघ शासित प्रांत को जारी किया जाता है जो अनुसूचित जाति/जनजाति के समुदाय के हैं और जिसे राज्य/संघ शासित प्रांत द्वारा आदेश सं., के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

इ) श्री/श्रीमती/कुमारी और/या उनका परिवार आम तौर पर जिला/ राज्य के प्रभाग/संघ शासित प्रांत के गाँव/शहर में रहते हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर :

राज्य/संघ शासित प्रांत

जारी करनेवाले प्राधिकारी का नाम :

दिनांक :

पदनाम :

(कार्यालय की मुहर सहित)

- नोट: (1) यहाँ प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का अर्थ, जनता के अभ्यावेदन अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिये गए अनुसार ही है।
- (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकारियों की सूची :
- अ) जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/समाहर्ता/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप समाहर्ता/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यपालक मेजिस्ट्रेट।
- आ) चीफ प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर चीफ प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
- इ) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार श्रेणी से कम न हों।
- ई) जहाँ उम्मीदवार और/अथवा उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है उस क्षेत्र का उप-प्रभाग अधिकारी।
- (3) उपरोक्त के अतिरिक्त किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।